प्रेस विज्ञप्ति

शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर 4 सी पाकेट एफ में डॉ0 भीम राम अम्बेडकर हवाई पटटी से प्रभावित 53 भूखण्ड वर्ष 1990 से हवाई पटटी से प्रभावित होने के कारण कब्जा/भवन निर्माण नही कर पा रहे थे, जोकि आवंटियों एवं प्राधिकरण के लिए एक बहुत बडी परेशानी का सबब बना हुआ था, क्योंकि उपरोक्त प्रभावित आवंटी लगभग वर्ष 1989–90 से कब्जा लेने के लिए परेशान थे। उक्त समस्या के निराकरण हेतु प्राधिकरण द्वारा उक्त 53 हवाई पटटी से प्रभावित भूखण्डों के समायोजन हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक में रखा गया। मा0 बोर्ड बैठक की अनुमति उपरान्त उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा शताब्दीनगर आवासीय योजना में लैण्ड मोनिटाईजेशन से प्राप्त भूखण्डों में मा0 बोर्ड की अनुमति उपरान्त आज दिनांक 23.07.2024 को प्राधिकरण सभागार में **ई–लाटरी** के माध्यम से उक्त 53 हवाई पटटी से प्रभावित भूखण्डों को आवंटियो की उपस्थिति में समायोजित किया गया। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. 288 वर्गमी0 से 290 वर्गमी0 कुल 04 भूखण्डों को सैक्टर 4सी के पाकेट ए में।
2. 200 वर्गमी0 से 266 वर्गमी0 कुल 04 भूखण्डों को सैक्टर 4सी के पाकेट ए में।
3. 135 वर्गमी0 से 166 वर्गमी0 कुल 23 भूखण्डों को सैक्टर 4सी के पाकेट ए में।
4. 75 वर्गमी0 से 99 वर्गमी0 कुल 22 भूखण्डों में से 03 भूखण्ड सैक्टर 4सी के पाकेट बी एवं 19 भूखण्ड सैक्टर 4बी के पाकेट बी में।

इस प्रकार कुल प्रभावित 53 भूखण्डों का समायोजन किया गया ।

पीडित आवंटियों को ई–लाटरी के माध्यम से भूखण्ड मिलने पर आवंटियो में खुशी की लहर दौड पडी एवं सभी आवंटियो ने प्राधिकरण प्रशासन को धन्यवाद व्यक्त किया।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।